

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 11-10-2019

—: आदेश :-

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2019 दिनांक 21.10.2019 में मतदान करने हेतु हरियाणा राज्य से लगते हुए राजस्थान राज्य के सीमावर्ती जिलों क्रमशः हनुमानगढ़, चूरु, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो हरियाणा राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों/उपक्रमों/बोर्ड/निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 7.10.2019 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), जिला हनुमानगढ़, चूरु, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।
- 19.


उप शासन सचिव